रांची में डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले

*84. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में रांची में डाक व तार विभाग के 128 कर्मचारियों के विरुद्ध अभी भी न्यायालय में मुकदमे चलाये जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार के भूतपूर्व मंत्री ने अपनी पिछली रांची यात्रा के समय न्यायालय में चल रहे उन मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) रांची में विभाग की दूर संचार शाखा के 126 कर्मचारियों पर सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सिलसिले मे अनिवार्य सेवा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत न्यायालय मे मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग). ऐसा कोई सरकारी रिकार्ड नही है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके। तथापि ये मुकदमे वापस लेना राज्य सरकार का काम है। जब कभी राज्य सरकार ने परामर्श लिया है, डाक-तार विभाग ने सहमति प्रकट की है।

राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो से प्रसारण

*85. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के हाल ही के मध्यावधि चुनावों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो से प्रसारण किये जाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजनीतिक दलों को रेडियो से प्रसारण करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). जी, हां। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रेडियो पर पर चुनाव प्रसारणों के बारे में राजनैतिक दलो को कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों के अनुसार प्रत्येक मुख्य अखिल भारतीय दल को दस-दस मिनट की अवधि के चार-चार प्रसारण करने की अनुमति दी जानी थी। तथापि, राजनैतिक दलों मे समझौता न होने के कारण, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की।

(ग) मुख्य चुनाव आयुक्त इस बारे में सरकार को कोई ठोस सिफारिशें करने में असमर्थ थे, अतएव सरकार ने रेडियो पर राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार करने की पद्धति को चालू करना उचित नही समझा।

Principles governing Film Censorship

*86. **SHRI M. RAM GOPAL REDDY** : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the principles on the basis of which censorship of films is done ;

(b) whether these are adequate ; and

(c) if not, the steps Government propose to take to remedy these ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) to (c). The principles for guidance in certifying films for public exhibition are laid in section 5B (1) of the Cinematograph Act, 1952, which are based on article 19 (2) of the Constitution Comprehensive directions have been issued by the Central Government to the Board of Film Censors setting out the principles which shall guide the Board in sanctioning films for public exhibition.

कृषकों के लिए संग्रह की सुविधाएं और उनके उत्पादकों के उचित मूल्य

*87. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये है कि कृषको को अपने कृषि उत्पादनों के उचित मूल्य मिल सकें; और विचौलिए इससे लाभ न उठा सकें; और

(ख) क्या सरकार कृषको को गोदामों में अपने उत्पादन का संग्रह करने की सुविधाएं देने और इसके बदले उन्हे ऋण देने की स्थिति मे है जिससे कृषक अपने उत्पादनों का विक्रय उस समय करे जब मूल्य अनुकूल हो और यदि नही, तो सरकार का विचार उन्हे ऐसी सुविधाएं देने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों से यह कहा गया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित लाभकारी अधिप्राप्ति मूल्य दिए जाते हैं । उनसे यह भी कहा गया है कि यथासम्भव उत्पादकों से सीधे ही खरीदारी की जाय ।

(ख) भारत सरकार किसानों को उनकी पैदावार को भण्डीगारों में भंडारण करने और ऐसे भण्डागार के प्रति उन्हें पेशगियां सुलभ करने की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता से अवगत है । किसानों को केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा चलाये जा रहे भाण्डागारो मे भण्डारण करने की सुविधा सुलभ है और जमाकर्ता इन निगमों द्वारा जारी की गई भाण्डागार की रसीदों के प्रति अनुसूचित बैंको से पेशगियां प्राप्त कर सकते हैं । सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत, बहुत बडी संख्या में गोदाम भी स्थापित किए गए है जहां किसान अपनी पैदावार को जमा करा सकते हैं और इस प्रकार जमा किये गए खाद्यानो के प्रति सहकारी संस्थानों से पेशगिया प्राप्त कर सकते हैं । जब कभी अधिक से अधिक सख्या में किसान ऐसी सुविधाओ का लाभ उठाने लगेंगे और आवश्यकता बढ जाती है तब सरकार इन सुविधाओं की ओर अधिक केन्द्रो पर शुरू करने के लिये पग उठायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिक भण्डारण क्षमता सुलभ करेगी ।

Views of an American Expert on Achieving increased Yield in Agriculture

*88 SHRI DHANDAPANI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the President of New York Agricultural Development Council, Dr. Arthur Mosher, has suggested that farm yields in India could register dramatic changes if planning for agricultural growth could be more effectively applied to improve the alternative to farmers ;

(b) if so, the reaction of Government on his suggestion ; and

(c) the other suggestions made by Dr. Mosher ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICUL-